

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(2)स्थाना / गृह-10 / 2023

जयपुर, दिनांक:- 05.05.2025

आदेश

राज्य सरकार के आदेश प. 03(01)गृह-10/2022 दिनांक 16.04.2025 द्वारा 07 उप निदेशक अभियोजन को संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नत किया गया है। संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नत उक्त अधिकारीगण (सेवानिवृत्त अधिकारीगण के अलावा) अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करें।

संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. शासन वरिष्ठ उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
3. महानिदेशक पुलिस, एसीबी, राजस्थान, जयपुर
4. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
6. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
7. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
8. संबंधित अधिकारी द्वारा उप निदेशक अभियोजन,
9. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)

राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(2)स्थाना/गृह-10/2023

जयपुर, दिनांक:- 05.05.2025

आदेश

राज्य सरकार के आदेश प. 03(01)गृह-10/2022 दिनांक 16.04.2025 द्वारा 36 सहायक निदेशक अभियोजन को उनके नाम के आगे अंकित तिथी से उप निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नत किया गया है। उप निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नत उक्त अधिकारीगण (पूर्व में उप निदेशक अभियोजन के पद पर कार्यभार ग्रहण कर चुके अधिकारीगण एवं सेवानिवृत्त अधिकारीगण के अलावा) अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करें।

संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. शासन वरिष्ठ उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान/पुलिस महानिदेशक (एसीबी)
3. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित जिला कलक्टर -----।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
6. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
7. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
8. संबंधित अधिकारी द्वारा उप निदेशक अभियोजन, [redacted]
9. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)

राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(3)स्थाना/गृह-10/2023

जयपुर, दिनांक:- 05.05.2025

आदेश

राज्य सरकार के आदेश प. 03(01)गृह-10/2022 दिनांक 16.04.2025 द्वारा 64 अभियोजन अधिकारीगण को उनके नाम के आगे अंकित तिथी से सहायक निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नत किया गया है। सहायक निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नत उक्त अधिकारीगण (पूर्व में सहायक निदेशक अभियोजन के पद पर कार्यभार ग्रहण कर चुके अधिकारीगण एवं सेवानिवृत्त अधिकारीगण के अलावा) अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करें।

संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. शासन वरिष्ठ उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
2. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
4. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
5. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
6. संबंधित अधिकारी द्वारा उप निदेशक अभियोजन,
7. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)

राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(4)स्था/राजपत्रित/अभि/2016/461-510

जयपुर, दिनांक:- 05.05.2025

आदेश

राज्य सरकार के आदेश प. 03(01)गृह-10/2022 दिनांक 16.04.2025 द्वारा 92 सहायक अभियोजन अधिकारीगण को उनके नाम के आगे अंकित तिथी से अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नत उक्त अधिकारीगण (पूर्व में अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर चुके अधिकारीगण के अलावा) अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करें।

संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित अधिकारी द्वारा उप निदेशक अभियोजन,
6. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर